

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 06, मंगलवार, शाके 1947- अक्टूबर 28, 2025 Kartika 06, Tuesday, Saka 1947- October 28, 2025	

भाग 5 (घ)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2025

संख्या एफ.14(14)(3)श्रम/ई.एस.आई/97/पार्ट-4 /00182 :-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-34) की धारा-87 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा मैसर्स जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, कैलाश नगर, तह0- निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ को दिनांक 11.12.2025 से 10.12.2026 तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के लागू होने से निम्नलिखित शर्तों पर छूट प्रदान की जाती है।

शर्त:-

- 1.नियोजक द्वारा देय चिकित्सा सुविधा का लाभ सभी कर्मचारी जिनमें अस्थाई या ठेका श्रमिक भी सम्मिलित हैं, को भी दिये जायेंगे।
- 2.पूर्वावत् संस्थान जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पद दर्शाये जायेंगे।
- 3.इस छूट के होते हुए भी कर्मचारी उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे हितलाभ प्राप्त करते रहेंगे जिनके लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रदत्त छूट के लागू होने की तिथि से पूर्व प्रदत्त अंशदानों के आधार पर हकदार हो जाते हैं।
- 4.छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अंशदान की अदायगी पहले ही की जा चुकी है तो वह वापस नहीं की जावेगी।
- 5.उक्त संस्थान का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस संस्थान पर उक्त अधिनियम लागू था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है) ऐसी विवरणियां, ऐसे प्रारूप और ऐसे ब्यौरे देते हुए प्रस्तुत करेगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के अन्तर्गत उक्त अवधि के दौरान भेजी जानी अपेक्षित है।
- 6.उक्त अधिनियम की धारा-45 की उपधारा(1) के अंतर्गत निगम द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक अथवा इस संबंध में निगम का प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अधिकृत होंगे:-

प्रयोजन

- (क) धारा-44 की उपधारा(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त अवधि की किसी विवरणी में दिए गए ब्यौरों का सत्यापन अथवा
- (ख) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 द्वारा यथा अपेक्षित उक्त अवधि के रजिस्टर और रिकार्ड के रखे जाने को सुनिश्चित करना अथवा

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई छूट के प्रतिफल स्वरूप नियोजक द्वारा दिए जाने वाले नकद तथा वस्तुरूपी हितलाभों के लिए कर्मचारियों का ऐसे हितलाभ के लिए हकदार बने रहना सुनिश्चित करना अथवा

(घ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने/स्थापन के संबंध में अधिनियम के उपबन्धों की अनुपालना की गई थी या नहीं।

कार्य जिनके लिए सशक्त होंगे:-

(क) प्रधान अथवा आसन्न नियोजक से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है अथवा

(ख) ऐसे प्रधान अथवा आसन्न नियोजक के कब्जे में किसी कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में किसी उपयुक्त समय में प्रवेश कर सकेगा और उसके प्रभारी से नियोजित व्यक्तियों के रोजगार या मजदूरी की अदायगी के संबंध में ऐसे लेखे, बहियां तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा जिसको वह आवश्यक समझता है अथवा

(ग) प्रधान या आसन्न नियोजक की उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जावे या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य अधिकारी के पास विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा कर सकेगा अथवा

(घ) ऐसे कारखाने स्थापन कार्यालय अथवा अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज के उद्धरण या उसकी प्रतिलिपि ले सकेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।